# सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु गठित समिति व्दारा प्रस्तुत ग्राम ......2-स्याहीडोंगरी...... की समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति की आंकलन रिपोर्ट

--00--

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवभोग के व्दारा जारी आदेश क्रमांक ..694../भू अर्जन/2019/देवभोग/दिनांक 21/06/2019 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति व्दारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 01/7/2019 को ग्राम-2-स्याहीडोंगरी में आयोजित की गई। इसमें भू-अर्जन अधिकारी व्दारा नामाकिंत सभी सदस्य उपस्थित थे। विशेषज्ञ समिति ने सामाजिक समाघात अध्ययन दल व्दारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार आंकलन किया साथ ही अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) व्दारा इस संबंध में प्रस्तुत किये गये विभिन्न राजस्व अभिलेखो का भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न आंकडों अभिलेखो एवं अन्य तथ्यों व्दारा विश्लेषण किया तदानुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम – ...2-स्याहीडोंगरी... ग्राम पंचायत :-...मुड़ागाँव माल...

प्रस्तुत अधिग्रहण छ.ग. शासन के जल संसाधन संभाग गरियाबंद हेतु किया जाना है यह नहर ...2-स्याहीडोंगरी... की भूमि ...[illegible]... परियोजना के तहत प्रस्तावित है इस पर ग्राम ...2-स्याहीडोंगरी... की भूमि अधिग्रहीत किया जाना है स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट का स्वरुप रेखीय है। ऐसे अधिग्रहणो में भूमि लंबाई में अधिग्रहीत होती है। जिसमें भमि का क्षेत्रफल काफी कम रहता है किन्तु भूमि एक से एक लगी होने के कारण प्रभावितो की संख्या अधिक हो सकती है।

प्रस्तावित अधिग्रहण में कुल ..11.. खातों की भमि आ रही है कुल खतेदारों की संख्या ..11.. है। इसमें ~~सभी~~ 06 अनुसूचित जनजाति के है। इन सभी खातेदारों का खातों का विवरण जिसमें उनके व्दारा कुल धारित भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण का रकबा और शेष बच रही भूमि का विवरण पृथक से संलग्न है।जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस अधिग्रहण होने के बाद भी प्रभावित ब्यक्ति के पास भूमि शेष रह पायेगी और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का उसे नियनानुसार प्रतिकर एवं पुनर्व्यवस्थापन भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तावित अधिग्रहण से भू- स्वामियो के खाते में नगण्य कमी आयेगी और क्षति भी बहुत कम होगी।

01 ग्राम की कुल जनसंख्या ..300.. है जिसमें केवल ..4.. प्रतिशत हो रहे है, अर्थात इस अधिग्रहण से बहुत ब्यापक सामाजिक/ आर्थिक दुष्पारिणाम नही होता है। इस नहर के बन जाने से आस-पास के बहुत सारे गांव को सिंचाई की सुविधा मिलेगी ,स्पष्ट है कि जन सामान्य के हितो का संवर्धन होगा प्रस्तावित अधिग्रहण में किसी का भी विस्थापन नही होगा। प्रभावितो ने अपनी सहमति लिखित में दी हैं।

02 संभावित परियोजना में विभागीय अधिकारियों व्दारा सूचित किया गया है कि न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक कोई भी अधिग्रहण नही किया जा रहा है।

5/8/19

Scanned by CamScanner

तकनीकी विशेषज्ञ ने नक्शों को देखते हुये इस बात की पुष्टि की कि अधिग्रहण न्यूनतम क्षेत्रफल से तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुये किया जा रहा है।

03 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों व्दारा इस बात की पुष्टि की कि संबंधित विभाग के पास पूर्व में कोई भी अधिग्रहीत भूमि बिना उपयोग की नही है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुचंती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण लोक हित में है उददेश्य लोक प्रयोजन है न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का ही अधिग्रहण किया जा रहा है इस अधिग्रहण के आवागमन सुलभ होगा और इसके सामान्य लाभ होने वाली क्षति की तुलना में बहुत अधिक है। विभाग के पास पूर्व में अधिग्रहीत भूमि बिना उपयोग की नही है फलतः भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –1. श्री ओम प्रकाश बंजारे..(..........................................................)

2.श्री योगेन्द्र यादव (..........................................................)

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि – 1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर(..........................................................)

2.जनपद सदस्य (..........................................................)

पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ –1. श्री दिनेश साहु (..........................................................)

2.श्री हेमराज मांझी (..........................................................)

परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ– अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग देवभोग

(..........................................................)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग देवभोग
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

5/8/19

Scanned by CamScanner

# <u>तकनीकी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ......ढेला व्यपवर्तन......परियोजना में निर्मित नहर ग्राम ...खाहिडोंगरी... प.ह.न. ...22... तहसील मैनपुर तरफ की प्रस्तावित भूमि आवश्यकतानुसार न्यूनतम है एवं प्रस्तावित स्थल के अलावा अन्य उपयुकत स्थान नही है।

गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –1. श्री ओम प्रकाश बंजारे..(..............................)

2.श्री योगेन्द्र यादव (..............................)

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि – 1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर(..............................)

2.जनपद सदस्य (..............................)

पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ –1. श्री दिनेश साहु (..............................)

2.श्री हेमराज मांझी (..............................)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग [illegible]
जिला [illegible] (छ.ग.)

परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ– अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग देवभोग

(..............................)

5/8/17

Scanned by CamScanner